एल्यूमिनियम कंपनी (बाल्को) का संबंध है, मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 79 करोड़ रुपये की राशि बाल्को पर बकाया दिखाई है । इसमें से 70 करोड़ रुपये की राशि विवादग्रस्त है। शेष 9 करोड़ रुपये की राशि में से बाल्कों द्वारा पहले ही 2 करोड़ रुपये की अदायगी नवम्बर-दिसम्बर, 1988 के दौरान की जा चुकी है, और शेष 7 करोड़ रुपये की राशि की अदायगी दो बराबर किश्तों में और मार्च 1989 और मार्च,1990 में किये जाने की परस्पर सहमति राज्य बिजली बोर्ड के साथ हुई है।

मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का भिलाई इस्पात संयंत्र की तरफ कोई बकाया नहीं है।

देश में अल्पसंख्यकों के लिये कल्याण योजनाएं

1241. **डा० अबरार अहमद खान:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए देश में कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं तथा गत तीन वर्षों में उनसे क्या लाभ पहुंचा है तथा कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की देश में क्या स्थिति है, किन-किन राज्यों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया है तथा उन राज्यों म किस-किस बिन्दु पर क्या-क्या कार्य किये गये हैं तथा इस कार्यक्रम से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए है;

(ग) अधिकांश राज्यों में इस कार्यक्रम को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं तथा इस कार्यक्रम के व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) इस कार्यक्रम के सही आकलन के लिये राज्य तथा जिला स्तर पर समितियां बनाने के बारे में क्या निर्देश दिये गये हैं तथा इन समितियों का ढांचा क्या होगा और क्या कुछ राज्यों में ऐसी समितियां पहले ही बन चुकी हैं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी): (क) से (घ) अल्पसंख्यकों के कल्याण के संबंध में प्रधान मंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम में, मूलतः यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों को विकास कार्यक्रमों में उचित हिस्सा प्राप्त हो और उनकी जान-माल की सुरक्षा हो ।

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा, विहित प्रपत्रों में तिमाही आधार पर प्रस्तुत 15-सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन संबंधी सूचना का विश्लेषण व 'समीक्षा सरकार करती है तथा जहां कहीं कोई कमी पाई जाती है तो वहां सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया जाता है। 30 सितम्बर 1988 को आयोजित अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में, कार्यक्रम के पूर्ण कार्यान्वयन के प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया था । मुख्य मंत्री / मुख्य सचिव स्तर की तिमाही समीक्षा बैठकें व जिला मजिस्ट्रेट स्तर की मासिक समीक्षा बैठकें नियमित आधार पर करने की सलाह राज्य सरकारों को पहले ही दे दी गई है। कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये उपयोगी संकेतों तथा दिशा निर्देशों संबंधी जिला मजिस्ट्रेटों के लिए एक परिपत्र सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है, जैसा कि 18 नवम्बर,1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 998 के उत्तर में उल्लेख है । कार्यक्रम के प्राभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु अल्पसंख्यक सेल व अनुसंधान सेल खोलने तथा सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में उनके उचित हिस्से को सुनिश्चित करने हेतु कहीं-कहीं सर्वेक्षण कराते रहने की सलाह भी राज्य सरकारों को दी गई है।

अल्पसंख्यकों से भेदभाव न हो तथा उन्हें उचित हिस्से की सुनिश्चति के उणय 15-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाते हैं । अल्पसंख्यक लाभग्राहियों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

राजस्थान में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन का प्रसारण

1242. **डा० अबरार अहमद खान:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय समाचारों का प्रसारण प्रारम्भ करने में देरी के क्या कारण है और कब तक क्षेत्रीय समाचारों का प्रसारण प्रारम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है;

(ख) कब तक राजस्थान के सभी जिलों में टी.वी. ट्रांसमीटर लग जायेंगे और अभी तक कितने जिलों में टी.वी. ट्रांसमीटर लग चुके हैं तथा इस संबंध में सवाई माधोपुर जिले की क्या सिथति है;

(ग) राजस्थान में दूरदर्शन नेटवर्क को अधिक प्रचलित एवं विकसित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकें; और

(घ) सातवी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये कितना पैसा खर्च करने का प्रावधान है तथा अब तक इस पर कितना पैसा खर्च हुआ ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) कुछ आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण दूरदर्शन केन्द्र जयपुर से अभी तक प्रादेशिक समाचारों को टेलीकास्ट करने की शुरूआत करना संभव नहीं हो पाया है। इन सुविधाओं की शीघ्र व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। जहां तक राज्य के सभी ट्रांसमीटर द्वारा प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों सहित प्रारम्भिक (प्रादेशिक) सेवा रिले करने का संबंध है, इसे इनसेट-2 के समय रचना के दौरान अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता पर शुरु करने का कार्यक्रम है।

(ख) और (ग)इस समय राज्य के 18 जिलों में स्थापित 22 दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत हैं। इसके अलावा, चार जिलों क भागों में पड़ोस के ट्रांसमीटरों से दूरदर्शन कवरेज प्राप्त होती है। दूरदर्शन की सातवीं योजना के अंग के रूप में, चार विद्यमान अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को उच्चशक्ति ट्रांसमीटरों से बदलना और 4 नए अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करना (सवाई माधोपुर में एक ट्रांसमीटर सहित) तथा एक ट्रांसपोजर लगाने का कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है इन परियोजनाओं का पूरा होना उपकरणों की उपलब्धता, अन्य आधारभूत सुविधाएं और निधियों का वार्षिक आबंटन पर निर्भर करता है।

इन स्कीमों का कार्यान्वयन हो जान के बाद, राजस्थान के सभी जिलों के दूरदर्शन सेवा से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से कवर हो जाने की आशा है।

(घ) दूरदर्शन की सातवीं योजना के अंतर्गत, राजस्थान में दूरदर्शन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 25.32 करोड़ रुपये की अनुमोदित पूंजी परिव्यय की तुलना में दिसम्बर, 1988 तक 12.07 करोड़ रुपये व्यय हो गए है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्यवाही

1243. **डा० अबरार अहमद खान**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है और क्या किसानों को अच्छी किस्म के बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के बारे में कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान में इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं और किसानों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं; और

(ग) गत वर्ष राजस्थान में सूखे से प्रभावित होने वाले किसानों को सरकार ने क्या सहायता दी है ताकि वे इस वर्ष की अच्छी वर्षा के फलस्वरूप अच्छी फसल प्राप्त कर सकें, और उर्वरक तथा बीज खरीदने के लिए दी गई वित्तीय सहायता तथा उर्वरकों और बीजों के रूप में दी गई सहायता के बारे में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)

(क) फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश में पहले ही कई कार्यक्रम, जैसे विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता, वर्षा संचित कृषि हेतु राष्ट्रीय जलविभाजक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम आदि, क्रियान्वित किए जा रहे हैं।